भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6388
दिनांक 02.04.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तराखंड में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं

6388. श्री अजय भट्टः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उत्तराखंड राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केंद्र सरकार ने पेयजल योजनाओं में केन्द्रीय हिस्सेदारी कम कर दी है;
और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जेजेएम के लिए आवंटित निधि की शेष राशि जारी करने के लिए इस विभाग को दो समरूप अनुरोध भेजे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,08,652 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) को मंजूरी दी थी और 2024-25 में उपलब्ध निधि का लगभग पूरा उपयोग कर लिया गया था।

जेजेएम के तहत निधियां नीचे वर्णित अनुपात के अनुसार मिशन अवधि के दौरान जेजेएम के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित अनुमोदित मानदंडों के अनुसार आवंटित की गईं थीं:

- **90:10 -** हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों, विधानमण्ड वाले संघ राज्य क्षेत्रों (उत्तराखंड सहित) हेतु,
- 100% - विधानमण्डल रहित संघ राज्य क्षेत्रों हेतु, और
- **50:50** - अन्य राज्यों हेतु।

केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में कमी करने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन नहीं है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च, 2026 को जेजेएम 2.0 के पुनर्गठन और बुनियादी ढांचे के निर्माण से सेवा प्रदायगी की ओर पुनर्निर्देशित करने को मंजूरी दे दी है, जो स्थायी ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति के लिए पेयजल अभिशासन और संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा समर्थित है। संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जेजेएम के पुनर्गठन के लिए, मंत्रिमंडल ने कुल 3.59 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ कुल परिव्यय को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है, जो 2019-20 में स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपये में वृद्धि करके बढ़ाया गया है अर्थात् केन्द्रीय हिस्से में 1.51 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि की गई है।
